UPUN010057032023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
उपस्थित–अनिल कुमार वर्मा–प्रथम(उच्चतर न्यायिक सेवा)
सत्र परीक्षण संख्या–989/2023

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक

बनाम

अंशू सविता पुत्र रमेश सविता निवासी म0नं0–995 दरोगाबाग थाना कोतवाली, जिला उन्नाव। ————–अभियुक्त

अपराध संख्या–94/2020
धारा–147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0
व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट
थाना–कोतवाली, जिला उन्नाव।

एवं

UPUN010048052023

सत्र परीक्षण संख्या–841/2023

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक

बनाम

फहद सिद्दीकी उर्फ फहद पुत्र मोहम्मद हमीद निवासी 769 तालिब सरॉय थाना कोतवाली, जिला उन्नाव। ————–अभियुक्त

अपराध संख्या–94/2020
धारा–147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0
व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट
थाना–कोतवाली, जिला उन्नाव।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–989/2023 में अभियुक्त अंशू सविता के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र संख्या–01/10.05.2020 एवं सत्र परीक्षण संख्या–841/2023 में अभियुक्त फहद सिद्दीकी उर्फ फहद के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र संख्या–02/03.01.2021, अ0सं0–94/2020, अन्तर्गत धारा–147,148,149,307,504,506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव, में विचारण हेतु दाखिल किया गया।

2. उपरोक्त सत्र वाद एक ही तहरीर, एक ही घटना एवं एक ही साक्ष्य पर आधारित है। अतएव सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों सत्रवादों का निस्तारण एक ही निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2024 से सत्र परीक्षण संख्या–989/2023 राज्य प्रति अंशू सविता अ0सं0–94/2020 थाना कोतवाली, उन्नाव एवं सत्र परीक्षण संख्या–841/2023 राज्य प्रति फहद सिद्दीकी उर्फ फहद अ0सं0–94/2020 थाना कोतवाली,

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.19 14:54:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उन्नाव को समेकित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या–989/2023 राज्य प्रति अंशू सविता को अग्रणी वाद बनाया गया तथा समस्त साक्ष्य अग्रणी वाद मे लेखबद्ध की गयी।

3. प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप में है कि दिनांक 15.02.2020 समय लगभग 08.00बजे रात वादी विशाल सिंह पुत्र शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं उसका छोटा भाई अनुरूद्ध प्रताप सिंह दुकान के सामने बैठे बातचीत कर रहे थे, इतने में चार मोटर साइकिल व एक स्कूटी से कुछ लोग आये, विशाल सिंह से गाली गुप्ता व झगड़ा करने लगे, शैलेन्द्र ने मना किया, तो फहाद सिद्दीकी, अंशू सविता, सतीश सिंह चौहान ने कट्टा निकाल कर उसके पिता पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। फहाद सिद्दीकी द्वारा मारी गयी गोली उसके पिता के पैर मे लग गयी, जिससे वह गिर पड़े, अन्य लोग ललकार रहे थे, अंशू सविता व सतीश चौहान ने एक–एक फायर किया, जिससे दहशत व आतंक का माहौल बन गया। गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते उपरोक्त लोग चले गए। उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना कोतवाली, जिला उन्नाव पर अभियुक्तगण फहद सिद्दीकी, अंशू सविता व सतीश चौहान व 08अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–94/2020 धारा–147,148,149,307,504, 506 भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट, पंजीकृत किया गया।

4. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161दं0प्र0सं0 अंकित किये गए, घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया गया, चोटहिल व अन्य साक्षीगण का व अभियुक्तगण का बयान केस डायरी मे अंकित किया। सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्त अंशू सविता के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–01/10.05.2020 अन्तर्गत धारा–147,148,149,307,504,506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट एवं अभियुक्त फहद सिद्दीकी उर्फ फहद के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–02/03.01.2021 अन्तर्गत धारा–147,148,149,307,504,506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को आहूत किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित आये। उन्हें न्यायालय द्वारा धारा–207दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी। प्रकरण सत्र न्यायालय परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा प्रकरण सत्र न्यायालय विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

5. सत्र न्यायालय ने विचारण के प्रारम्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियोजन कथानक का सरांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियेाजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करता है। तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.11.2023 को अभियुक्त अंशू सविता एवं दिनांक 10.10.2023 को अभियुक्त फहद सिद्दीकी उर्फ फहद, के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–147,148,307/149,504, 506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दिनांक 09.06.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित पृथक–पृथक आरोप में धारा 147,148,149भा0दं0सं0 का विलोप किया गया। अभियुक्त अंशू सविता एवं अभियुक्त फहद सिद्दीकी उर्फ फहद के विरूद्ध धारा–307,504,506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट के अपराध में विचारण किया जा रहा है।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्न साक्षियों क्रमशः पी0डब्लू0–1 विशाल सिंह(वादी), पी0डब्लू0–2 शैलेन्द्र कुमार सिंह(चोटहिल), पी0डब्लू0–3 अनिरूद्ध प्रताप सिंह(गवाह), पी0डब्लू0–4 योगेश कुमार कां0(लेखक), पी0डब्लू0–5 मिर्जा आलिम बेग(गवाह), पी0डब्लू0–6 सुफियान(गवाह), पी0डब्लू0–7 डा0भूपेन्द्र कुमार(चिकित्सक) को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, जी0डी0 प्रदर्श क–3 प्रस्तुत किये गये है। शेष अभियोजन प्रपत्र एक्स–रे फार्म प्रदर्श क–4, आघात आख्या शैलेन्द्र प्रदर्श क–5, नक्शा नजरी प्रदर्श क–6, आरोप पत्र अंशू सविता प्रदर्श क–7, आरोप पत्र फहद सिद्दीकी उर्फ फहद प्रदर्श क–8, डाक्टरी पर्चे प्रदर्श क–9 की औपचारिकता सत्यता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किये जाने पर तद्नुसार प्रदर्श डाला गया है।

8. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 04.04.2026 को लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। विवेचक द्वारा की कार्यवाही के संबंध में कथन किया कि औपचारिकता पूर्ण की गयी। उन्होने यह भी कथन किया कि उन्हें सफाई साक्ष्य नही देना है। वे निर्दोष है।

9. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया।

10. **पी0डब्लू0–1 विशाल सिंह(वादी)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक कथन किया कि–उसके घर पर ही इलेक्ट्रानिक की दुकान है। दिनांक 15.02.2020 को रात लगभग 08.00बजे उसके पिता शैलेन्द्र सिंह व छोटा भाई अनिरूद्ध प्रताप सिंह दुकान के बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे, वह भी साथ मे बैठा था तभी चार मोटर साइकिल व एक स्कूटी से कुछ लोग आये और आपस मे झगड़ा करने लगे, पिता ने विरोध किया तो उनमें से एक व्यक्ति ने उसके पिता पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। फायर उसके पिता के पैर मे लगी थी। फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गये थे तब मुल्जिम जान से मारने की धमकी देते चले गये थे। लोगो के बताने के आधार पर उसने फहद सिद्दीकी, अंशू सविता व सतीश चौहान के विरूद्ध घटना कारित करने की रिपोर्ट लिखायी थी। साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 को अपने लेख व हस्ताक्षर से प्रमाणित किया गया।

11. **पी0डब्लू0–2 शैलेन्द्र कुमार सिंह(चोटहिल)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक कथन किया कि–दिनांक 15.02.2020 की रात लगभग 08.00 बजे वह अपने बेटे अनिरूद्ध प्रताप सिंह के साथ अपनी दुकान के सामने बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी चार मोटर साइकिल व एक

स्कूटी से कुछ लोग दुकान के समाने आये और झगड़ा करने लगे, उसने मना किया तो नाराज होकर उनमे से एक व्यक्ति ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिसमें उसके बांये पैर मे चोट आ गयी थी। फायर की आवाज सुनकर आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गये थे, तब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। घटना के समय उसका लड़का विशाल उसके साथ था। मोहल्लेवालो के बताने के अनुसार उसके लड़के विशाल ने अंशू सविता, फहद, सतीश सिंह चौहान के विरूद्ध रिपोर्ट लिखा दी थी। उसका इलाज आशा हास्पिटल, दरोगा बाग उन्नाव मे हुआ था। फहाद सिद्दीकी, अंशु सविता व सतीश चौहान को कट्टे से स्वयं के ऊपर फायर करते हए उसने नही देखा था, किस व्यक्ति के द्वारा किये गये फायर से उसके पैर में चोट आयी थी, वह नही बता सकता। अभियोजन की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12. पी0डब्लू0–3 अनिरूद्ध प्रताप सिंह(गवाह) ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक कथन किया कि–दिनांक 15.02.2020 को समय 08.00 बजे रात्रि वह अपने घर पर था, उसी घर मे दुकान है, दुकान पर उसके पिताजी थे, भीड़ इकट्ठा हो गयी थी, कुछ लोगो की आपस मे कहा सुनी हो गयी थी। भीड़ में से किसी ने फायर कर दिया, जो उसके पिता को लगी थी, किसने फायर किया वह नही देख पाया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. पी0डब्लू0–4 का0योगेश कुमार(लेखक एफ.आई.आर.) ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक कथन किया कि– दिनांक 16.02.2020 को वह थाना कोतवाली में का0 मोहर्रिर के पद पर तैनात था। वादी विशाल सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर सी0सी0टी0एन0एस0 पर मु0अ0सं0 94/2020 धारा–147,148,307,504,506भा0दं0सं0 व 7सी0एल0एक्ट कम्प्यूटर कर्मी को बोलबोल कर अंकित कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 पर प्रभारी वरिष्ठ उ0नि0 के हस्ताक्षर है। उसी समय रपट नं0–5 दिनांक 16.02.2020 प्रदर्श क–3 अंकित करायी गयी, जिसको उसने स्वयं प्रमाणित किया।

14. पी0डब्लू0–5 मिर्जा आलिम बेग(गवाह) ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक कथन किया कि–आज से लगभग 05वर्ष पूर्व वह अपने घर पर था। उसने गोली चलने की आवाज नही सुनी, न ही बाहर निकलकर आया, न ही देखा कि शैलेन्द्र की टांग मे गोली लगी है, और न ही फहद सिद्दीकी, अंशु सविता, सतीश चौहान व उनके साथियों को भागते देखा। दरोगा जी ने उसका बयान नही लिया है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15. पी0डब्लू0–6 सुफियान(गवाह) ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक कथन किया कि–दिनांक 15.02.2020 समय 08.00बजे रात्रि को गोली चलने की आवाज नही सुनी न ही देखा था। उसने नही देखा था कि मोटर साइकिल व स्कूटी सवार फहद सिद्दीकी व अंशु सविता, सतीश चौहान उसके पड़ोस मे रहने वाले शैलेन्द्र की दुकान के सामने से हवाई फायर करते हुए धमकी देते हुए जा रहे थे, न ही वह शैलेन्द्र की दुकान पर गया था न ही उसने उनकी टांग में गोली व खून बहने हुए देखा था। दरोगा जी ने उसका बयान नही लिया है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

16. पी0डब्लू0–7 डा0भूपेन्द्र कुमार(चिकित्सक) ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक कथन

किया कि–आशा सुपर स्पेशियलटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर दरोगा बाग उन्नाव की प्रबन्धक उसकी पत्नी डा0 श्रीमती बात्सला परिहार है। पत्रावली में जो दिनांक 15.02.2020 को मेडिकल कागज लगे है, वो उसकी पत्नी के हास्पिटल के है। चुटहिल शैलेन्द्र सिंह का इलाज डा0 एम0एम0मिश्रा, डा0अनुराग प्रताप सिंह, डा0प्रदीप कुमार ने किया था। ये कागज उनके द्वारा तैयार किये गए है।

17. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियोजनपक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य का समर्थन प्रस्तुत पुलिस प्रपत्रों से नही होता है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

18. जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुए कहा गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है, जिसकी पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों से भी होती है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन द्वारा अपना कथानक प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है।

19. उक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को प्रमाणित करने के लिये तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 वादी विशाल सिंह को परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया किन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दिया है, जब कि पी0डब्लू–2, पी0डब्लू–3, पी0डब्लू–5, पी0डब्लू–6 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के कारण उनका साक्ष्य पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य के अन्तर्गत है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर सर्वप्रथम पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के गुणवत्ता एवं ग्राह्यता के सम्बन्ध में विधिक स्थिति का आंकलन किया जाना आवश्यक है।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **2007 सी0आर0एल0जे0 पृष्ठ 2942, जोधराज प्रति राजस्थान राज्य** में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि केवल इस आधार पर कि कोई साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया गया है, व उसने अपने पूर्व में किये गये कथनों का समर्थन नहीं किया है, सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, परिस्थितियों में न्यायालय के लिये यह अनुज्ञेय (Permissible) है कि वह ऐसे साक्षी के साक्ष्य के एक भाग पर विश्वास कर सके, जो न्यायालय की राय में विश्वसनीय हो।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **ए0आई0 आर0 2001 (एस0सी0) पृष्ठ 330, गुड़ा सिंह बनाम राजस्थान राज्य** में कहा गया है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य केवल उसके पक्षद्रोही होने के कारण पत्रावली से लुप्त नहीं हो जाता, यह विचारणीय न्यायालय के लिये आवश्यक है कि वह यह देखे कि प्रतिपरीक्षा किये जाने के पश्चात् भी क्या ऐसे साक्षी के साक्ष्य का कोई भाग विश्वसनीय है व यदि ऐसे साक्षी का कोई भाग प्रतिपरीक्षा के बाद भी विश्वसनीय रह जाता है तो न्यायालय उचित मामले में ऐसे साक्षी के

विश्वसनीय भाग पर विश्वास कर सकता है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **राधामोहन सिंह उर्फ लाल साहिब व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, ए0आई0आर0 2006 एस0सी0 पृष्ठ 951** में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य का वह भाग, जो विश्वसनीय हो, स्वीकार किया जा सकता है।

23. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर अवधारित किये गये मत के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना से स्पष्ट है कि पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित करते हुए कथन किया कि दिनांक 15.02.2020 को रात लगभग 08.00बजे वह व उसके पिता शैलेन्द्र सिंह तथा छोटा भाई अनिरूद्ध प्रताप सिंह दुकान के बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी चार मोटर साइकिल व एक स्कूटी से कुछ लोग आये और आपस मे झगड़ा करने लगे, पिता ने विरोध किया तो उनमें से एक व्यक्ति ने उसके पिता पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। फायर उसके पिता के पैर मे लगी थी। फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गये थे तब मुल्जिम जान से मारने की धमकी देते चले गये थे। लोगो के बताने के आधार पर उसने फहद सिद्दीकी, अंशू सविता व सतीश चौहान के विरूद्ध घटना कारित करने की रिपोर्ट लिखायी थी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि फहद सिद्दीकी, अंशू सविता व सतीश चौहान मौके पर नही थे, और न ही झगड़ा विवाद कर रहे थे और न ही इन लोगो ने उसके पिता पर जान से मारने की नियत से फायर किया, न गाली गलौज की, न जान से मारने की धमकी दी। विवेचक द्वारा अंकित किये गये बयान धारा–161दं0प्र0सं0 को सुनाया गया तो साक्षी ने इंकार किया कहा दरोगा जी ने कैसे लिख लिया वह वजह नही बता सकता। उसके द्वारा कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि फहद व अंशू सविता आपरधी किश्म के व्यक्ति है, इस कारण उनके भय व प्रभाव व दबाव की वजह से उन्हें बचाने के लिये सही बयान नही दे रहा है। पी0डब्लू0–2 जो कि चोटहिल साक्षी है द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथनक का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया, यह कहना गलत है कि फहद सिद्दीकी, अंशू सविता व सतीश चौहान ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया हो। हाजिर अदालत मुल्जिमान अंशू सविता, फहद सिद्दीकी को देखकर साक्षी ने कहा कि दिनांक 15.02.2020 को ये लोग उसकी दुकान के सामने नही आये थे, न ही गाली गलौज की न ही जान से मारने की नियत से फायर किया था न ही जान से मारने की धमकी दी थी। लोगो के बहकावे मे आकर गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा लिखा दिया था। पी0डब्लू0–3 मौके का साक्षी है, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथनक का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि अंशू, सतीश चौहान, फहद को वह जानता है। इन लोगो ने उसके पिता के ऊपर फायर नही किया था। भीड़ में कौन कौन लोग थे वह पहचान नही पाया। साक्षी ने 161दं0प्र0सं0 के बयान से इंकार किया। पी0डब्लू0–5 व पी0डब्लू0–6 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथनक का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, प्रतिपरीक्षा

में साक्षी ने विवेचक को दिये गये बयान धारा–161दं0प्र0सं0 से इंकार किया। पी0डब्लू0–4 औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी0डी0 साबित की गयी है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि यह कहना गलत है कि वादी के प्रभाव में जी0डी0 व चिक एण्टीटाइम दर्ज की हो। पी0डब्लू0–7 द्वारा चोटहिल पी0डब्लू0–2 का चिकित्सीय परीक्षण किया उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा नही की गयी।

24. आपराधिक विचारण में यह उपधारणा है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा अभियुक्तगण की दोषिता को प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का दायित्व अभियोजन का है। यह प्रत्येक केस के तथ्यों, परिस्थितियों व उस केस में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य की विश्वसनीयता व ग्राह्यता पर निर्भर करता है कि प्रकरण में प्रस्तुत किये जाने वाला साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का है अथवा नहीं? यद्यपि एकल साक्षी के बयान पर दोषसिद्धि संभव है किन्तु उसका साक्ष्य इस स्तर का हो कि दोषसिद्धि संभव हो सके।

25. उपरोक्त विधिक सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि में तथ्य के साक्षीगण की संवीक्षा से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट होता है कि साक्षी पी0डब्ल्यू–1 वादी पक्षद्रोही साक्षी नही है किन्तु उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कथन किया कि उसने लोगो के कहने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लिखायी थी, जो कि प्रदर्श क–1 के विपरीत है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया कि अभियुक्तगण फहद सिद्दीकी व अशूं सविता मौके पर नही थे, इन लोगो ने उसके पिताजी पर फायर नही किया। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 की सम्पूर्ण साक्ष्य के सूक्ष्म विवेचन से अभियेाजन कथानक का समर्थन नही होता है। उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीयता की प्रथम श्रेणी पर नही आता है, न ही उसका बयान अन्य साक्षियों से समर्थित होता है। पी0डब्लू–2, पी0डब्लू–3, पी0डब्लू–5, पी0डब्लू–6 पक्षद्रोही साक्षी है, उनकी साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। साक्षियों के साक्ष्य के विशलेषण से न्यायलय, इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि तथ्य के साक्षियों का साक्ष्य ग्रहणीय नही है। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य, तथ्य व परिस्थिति उपलब्ध नही है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रत्येक युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित होता हो। अतः पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने कथानक को प्रत्येक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने मे तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण अंशू सविता व फहद सिद्दीकी उर्फ फहद धारा–147,148,307/149,504, 506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्त अंशू सविता को सत्र परीक्षण संख्या–989/2023, मु0अ0सं0–94/2020 धारा–307,504,506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अंशू सविता जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं, एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2. अंशू सविता द्वारा धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0–50,000/–का निजी

बंधपत्र समान धनराशि की दो प्रतिभू अंदर सप्ताह प्रस्तुत की जाये, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेगी। यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

3. अभियुक्त फहद सिद्दीकी उर्फ फहद को सत्र परीक्षण संख्या–841 / 2023, मु0अ0सं0–94 / 2020 धारा–307,504,506भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। फहद सिद्दीकी उर्फ फहद जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं, एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

4. फहद सिद्दीकी द्वारा धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0–50,000 / –का निजी बंधपत्र समान धनराशि की दो प्रतिभू अंदर सप्ताह प्रस्तुत की जाये, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेगी। यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

5. इस निर्णय की एक प्रति सत्रवाद संख्या–841 / 2023 राज्य प्रति फहद सिद्दीकी उर्फ फहद मे रखी जाये, जो उस पर प्रभावी होगी।

दिनांक–18.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–18.06.2026
राकेश / –

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।